इस्पात मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2898

06 सितम्बर, 2012 को उत्तर के लिए

इस्पात संयंत्रों का राष्ट्रीयकरण

2898. श्री अविनाश राय खन्ना:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत पांच वर्षों के दौरान कितनी निजी कंपनियों को इस्पात संयंत्र स्थापित करने की अनुमति प्राप्त हुई है और उनका राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) कितनी कंपनियों ने उत्पादन शुरू कर दिया है, उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार कितनी कंपनियों का अधिग्रहण करने वाली है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) इन कंपनियों की आर्थिक स्थिति कैसी है; और

(ड.) सरकार ऐसी इकाइयों का अधिग्रहण करने से पहले क्या कदम उठाती है ?

उत्तर

इस्पात मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)

(क) और (ख): इस्पात एक नियंत्रणमुक्त क्षेत्र है। इस प्रकार, देश में किसी इस्पात कारखाना की स्थापना के लिए इस्पात मंत्रालय से लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। प्रमुख निजी इस्पात उत्पादकों में टाटा स्टील, एस्सार स्टील, जिंदल स्टील एंड पॉवर, जेएसडब्ल्यू स्टील, भूषण पॉवर एंड स्टील, भूषण स्टील इत्यादि शामिल हैं। निजी ब्लॉस्ट फर्नेस, स्पंज आयरन यूनिटों, इंडक्शन फर्नेस यूनिटों और रोलिंग मिलों समेत देश में कई मध्यम और छोटी इस्पात यूनिटें हैं। वर्ष 2009-10 में संयुक्त संयंत्र समिति द्वारा कराए गए विगत सर्वेक्षण के अनुसार इस प्रकार की यूनिटों की कुल संख्या लगभग 3647 है। वर्ष 2011-12 के दौरान निजी इस्पात संयंत्रों समेत सभी प्रकार के इस्पात संयंत्रों द्वारा क्रूड इस्पात का 73.73* मिलियन टन उत्पादन किया गया है।

(*संयुक्त संयंत्र समिति के अनुसार अनंतिम)

(ग): केंद्र सरकार द्वारा निजी क्षेत्र के किसी भी इस्पात संयंत्र का अधिग्रहण करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) और (ड.): प्रश्न नहीं उठता।

****